

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

..... लाली ..... बनाम ..... गोपी .....

संख्या 112/22

दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/04/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षी अधिवक्ता व पक्षी अनुपस्थित। बार-बार अवाज लगवाई गयी, कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि पक्षी व पक्षी अधिवक्ता इस प्रकरण में अग्रसर करने में कसब बट्टाउ नहीं है। अतः इस प्रकरण पत्रा को अक्षय टाकली - अक्षय पैली में खारिज किया जाता है।</p> <p>किरॉपि आज दिनांक 14/04/22 को सुले न्यायालय एवं ली वजलाक सुनाया गया।</p> <p>26</p>	

